

भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 310

22 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: डिजिटल कृषि मिशन के कार्यान्वयन की स्थिति

310. श्री सी. एन. अन्नादुर्इः

श्री नवसकनी के.:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश भर में डिजिटल कृषि मिशन के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और अब तक राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं;

(ख) एग्रिस्टैक पहल के अंतर्गत कुल कितने किसान पहचान-पत्र बनाए गए हैं और आज की तिथि के अनुसार, डिजिटल फसल सर्वेक्षण के अंतर्गत कितने जिले शामिल किए गए हैं;

(ग) तमिलनाडु सहित देश में कितने राज्य हैं जिन्होंने औपचारिक रूप से मिशन को अपनाया है और भू-संदर्भित गांव का नक्शा बनाना और कृषि निर्णय सहायता प्रणाली अपनाना जैसी विशिष्ट उपलब्धियाँ का व्यौरा क्या है;

(घ) उक्त मिशन के अंतर्गत तमिलनाडु में बनाए गए किसान पहचान पत्रों की संख्या कितनी है और मानचित्रित किए गए गांवों/जिलों की संख्या कितनी है और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के अंतर्गत सर्वेक्षित किए गए भूमि पार्सल संबंधी आँकड़े क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा तमिलनाडु में डिजिटल कृषि मिशन के कार्यान्वयन में तेजी लाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): सरकार ने सितंबर 2024 में डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है। मिशन में देश में एक मजबूत डिजिटल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु कृषि के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) जैसे एग्रिस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली और एक व्यापक मृदा उर्वरता और प्रोफाइल मैप तैयार करने की परिकल्पना की गई है। यह अभिनव किसान-केंद्रित डिजिटल समाधानों को बढ़ावा देगा और सभी किसानों को समय पर फसल संबंधी विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराएगा। एग्रिस्टैक डीपीआई में कृषि क्षेत्र से जुड़ी तीन मूलभूत रजिस्ट्रियां या डेटाबेस शामिल हैं, अर्थात्, भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र (जियो रेफ्रेस्ड विलेज मैप), बोई गई फसल रजिस्ट्री और किसान रजिस्ट्री, जो सभी राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बनाई जाती हैं और उन्हीं के द्वारा इसका रख-रखाव किया जाता है। वर्तमान में, तमिलनाडु राज्य सहित डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना

के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए 30 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक समझौता जापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

17.07.2025 तक, कुल 6,87,38,959 किसान आईडी तैयार की जा चुकी हैं, जिनमें तमिलनाडु राज्य की 30,92,267 किसान आईडी शामिल हैं। डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए गाँव के नक्शे की जियो-रेफरेंसिंग एक पूर्व आवश्यक शर्त है जो तमिलनाडु राज्य के 17,164 गाँवों में पूरी हो चुकी है। रबी 2024-25 में 492 ज़िलों में 23.5 करोड़ से अधिक भूखंडों के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया गया है। इसमें तमिलनाडु राज्य के 37 ज़िलों के 17,116 गाँवों में 3.84 करोड़ से अधिक भूखंड शामिल हैं।

(ड.): सरकार, मिशन के समय पर कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है:

- I. किसान पहचान पत्र और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए सॉफ्टवेयर।
- II. राज्य अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- III. परियोजना निगरानी इकाई बनाने के लिए मानव संसाधनों की भर्ती हेतु सहायता।
- IV. परियोजना के कार्यान्वयन के लिए क्लाउड अवसंरचना प्रदान करना।
- V. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (डीओई) ने 2024-25 के पूँजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) की एक योजना की घोषणा की है, जिसका कुल आवंटन 5000 करोड़ रुपये है। 2025-26 में 6 राज्यों को ₹1076 करोड़ की राशि जारी की गई है, जिसमें तमिलनाडु राज्य को 58.45 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
- VI. इसके अलावा, सरकार ने राज्यों को कैप-मोड ट्रॉफिकोण अपनाने की सलाह दी है, जिसके तहत राज्यों को क्षेत्र-स्तरीय शिविर आयोजित करने को प्रोत्साहित करने और स्थानीय प्रशासन के सहयोग के लिए प्रति शिविर 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।
- VII. किसान रजिस्ट्री के सृजन और सत्यापन में तेजी लाने के लिए पीएम किसान योजना के प्रशासनिक कोष से प्रति किसान आईडी 10/- रुपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग किसान रजिस्ट्री के सृजन से जुड़े हुए क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को मानदेय प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
- VIII. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण के आयोजन हेतु धनराशि उपलब्ध कराना। तमिलनाडु को अपने राज्य में डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए 2025-26 के लिए 49.89 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।
- IX. मिशन के कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपीए) घटक के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग (एआई/एमएल), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), ब्लॉकचेन आदि उभरती तकनीकों का उपयोग करके डिजिटल कृषि परियोजनाओं के लिए धनराशि प्रदान की जाती है।
